

**DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD  
GOVT. OF NCT OF DELHI  
(PARLIAMENT CELL)**

**Room No.38, Punarvas Bhawan,  
I.P. Estate, New Delhi-110002**

**No. F/PC/AQC-113/D-131**


**dated: 06 .8.2018**

To,

The Dy. Secretary (Question Cell)  
Delhi Legislative Assembly, Delhi-54

Subject:- Providing reply in r/o Un-Starred question no. 113 dated  
07/08/2018.

Please find enclosed herewith **100 copies** of reply of Un-Starred  
question no. 113 raised by Sh. Jarnail Singh, MLA, duly approved by  
the Competent Authority.

  
Deputy. Director(PC)  
Phone No. 23378559

Copy to:-

Director(DPI) along with **150 copies.**

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अतारांकित प्रश्न संख्या-113

दिनांक-07/08/2018

प्रश्न कर्ता का नाम-श्री जरनैल सिंह

प्रश्न	उत्तर
(क) दिल्ली में इंसिब की जमीन पर कुल कितने मॉल्स हैं;	इंसिब द्वारा राजा गार्डन क्षेत्र में 06 प्लॉट व्यावसायिक (शॉपिंग मॉल) इस्तेमाल के लिए नीलामी द्वारा लीज पर दिया गया है।
(ख) क्या इन निजी मॉल्स में पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है;	जी हाँ, इन प्लॉट्स पर बनी मॉल्स द्वारा पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है।
(ग) निशुल्क पार्किंग से संबंधित एसडीएमसी का दिनांक 02/12/2015 का पब्लिक नॉटिस क्या इंसिब की जमीन पर बने मॉल्स पर लागू नहीं होता;	02.12.2015 का नोटिस एस. डी. ए. एम. सी. द्वारा जारी किया गया है। और इसे लागू करने की जिम्मेदारी एस. डी. ए. एम. सी. की ही है।
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और	लागू नहीं।
(ङ) यदि हां, तो इंसिब के अन्तर्गत आने वाले मॉल्स पर लागू इस आदेश को लागू ना कराने के क्या कारण हैं	उपरोक्त (ग) के अनुसार एस. डी. ए. एम. सी. को इसकी लिखित जानकारी भेजी जा रही है ताकि उनके द्वारा उचित कार्यवाही की जा सके।

उप- निदेशक (संसद कक्ष)

उपसचिव शहरी विकास विभाग, दिल्ली सचिवालय